

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 595 / 2014

संस्थित दि: 27 / 06 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

अनिल कुमार पिता स्व. मोहनलाल परते, उम्र 26 साल,
जाति गोंड, साकिन लिंगा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 23 / 08 / 2014 को उपापित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया जयश्री मिश्रा ने दिनांक 15.05.2014 को एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम अरनामेटा में रहती है। वह अपनी भाभी किरण मिश्रा के पास लिंगा पार्लर का कोर्स करने के लिये गई दस दिनों से आई थी। घर मालिक का लड़का अनिल परते उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा और जब उसने अनिल परते से शादी करने के लिए कहा तो अनिल परते ने उससे शादी करने से मना कर दिया। अनिल परते ने उसके साथ चार बार बलात्कार किया। फरियादिया जयश्री मिश्रा की उक्त लिखित आवेदन पत्र के आधार पर आरोपी अनिल परते के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/14 अन्तर्गत धारा 376 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अनिल परते को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी अनिल परते के विरुद्ध धारा 376 भा.दं.वि. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 2013 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 376 भा.दं.वि. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 2013 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपापित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजी गई है।

(09) आरोपी अनिल परते उपजेल बैहर में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारण्ट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 05.09.2014 को पूर्वान्ह में ठीक 11:00 बजे उपस्थित रखने हेतु उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)